

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 मई 2026 — वैशाख 17, शक 1948

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक-150A/स्था./2025/3839.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ निर्वाचन (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची एक में, —

अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 10 के कॉलम (6) में, अंक “2200” के स्थान पर, अंक “2400” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवन्त कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
एवं पदेन सचिव,
छ.ग. शासन विधि एवं विधायी (निर्वा) कार्य विभाग.

Raipur, the 7th May 2026

NOTIFICATION

No.-150A/स्था./2025/3839.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Election (Non-Gazetted) Class-III Service Recruitment rules, 2011, namely:-

AMENDMENT

In Schedule-I of the said rules,-

In column (6) of serial number 10 of Schedule-I for the figure "2200", the figure "2400" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YASHWANT KUMAR, Chief Electoral Officer
& Ex-Officio Secretary
Law and Legislative Affairs (Election).